2017/00367

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री भगवती प्रसाद कौशिक निवासी 10/245 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 206/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. उभयपक्ष उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 23.06.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी (शहरी क्षेत्र), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 468 दिनांक 18.9.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 385 दिनांक 18.7.17 द्वारा उपलब्ध करवादी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. इसके विपरीत अपीलार्थी ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सही सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आधी अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह सूचना चाही थी कि उसने राशन कार्ड बनाने के लिये आवेदन किया है, उस पर क्या कार्यवाही की गई। राशन कार्ड किन कारणों से नहीं बनाया गया, उन कारणों को अवगत करवाया जावे। किन्तु उसे विपरीत सूचना प्राप्त हुई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से दिलवाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर